

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डा. निलेश कुमार

स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग

तिलकामांझी भागलपुर विश्वद्यालय, भागलपुर

सारांश

किसी भी राष्ट्र को सशक्त सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान भूमिका होनी चाहिए। महिलाओं के योगदान से ही प्रत्येक देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन शारीरिक शक्ति, आजीविका कमाने की क्षमता आदि के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच स्पष्ट असमानता है। अधिकांश समुदायों में महिलाएं नियमित रूप से इस प्रकार के भेदभाव का सामना करती हैं, लेकिन वे इसे अनदेखा करना चुनती हैं। इसलिए, इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू महिलाओं का सशक्तिकरण है। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब आम जनता लैंगिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाए ताकि दोनों लिंग एक-दूसरे की गरिमा का सम्मान करें। एक ऐसे समाज का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यवहार को हतोत्साहित करे और पुरुषों और महिलाओं दोनों को तर्कसंगत रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। यह अध्याय बताता है कि लैंगिक समानता लाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता को प्रमुख कार्य बिंदुओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

मुख्य शब्द: सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता।

परिचय

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, और किसी भी राष्ट्र को तब तक विकसित नहीं माना जाना चाहिए जब तक महिलाओं को आर्थिक प्रगति में समान अवसर न मिल जाएं। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है, फिर भी वास्तविकता में, महिलाएं ही सामाजिक उत्पीड़न का मुख्य कारण हैं। पुरुषों का जीवन लड़कियों की तुलना में बेहतर और उनके माता-पिता ने अपनी पुरानी परंपराओं के कारण ये अंतर पैदा किए हैं। हर समाज आज भी लैंगिक असमानता से जूझ रहा है, जो महिलाओं को सम्मानजनक नौकरियों से वंचित करती है। महिलाओं को अक्सर स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी शिक्षा और अन्य सेवाओं से वंचित रखा जाता है, और वे भारतीय समाज में अक्सर दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। आधुनिक समय में भी, पूरे भारत में महिलाओं को बुनियादी शिक्षा का अधिकार नहीं है। वे विकास की राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। "भारतीय समाज में लैंगिक असमानताओं के संदर्भ में सुधार केवल लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से ही संभव है।" सामान्य अवलोकन, जांच और शोध के अनुसार, महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत करने मात्र से ही परिवारों और समुदायों में विवाद उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए, इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि आम जनता को लैंगिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना आवश्यक है ताकि दोनों लिंग एक-दूसरे की गरिमा का सम्मान करें। लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण उन संस्थागत संरचनाओं और अनौपचारिक लैंगिक नियमों को समझने और सुधारने के महत्व को स्वीकार करता है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के सशक्तिकरण के अनुभव को प्रभावित करते हैं। इन नियमों में लिंग के आधार पर मूल्य, दायित्वों और शक्ति संतुलन से संबंधित अलिखित सामाजिक परंपराएं शामिल हैं (मार्केल और लिंडसे, 2014)।

वैचारिक ढांचा

(ए) सशक्तिकरण

सशक्तिकरण वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के संबंध में विकास के लिए अपनी दृष्टि विकसित करने में अधिक भूमिका निभाता है (भूमली और पोद्दार, 2005)। गनिगर (2012) के अनुसार, सशक्तिकरण वंचित और शक्तिहीन लोगों को सशक्त बनाने, मुक्त करने और ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए, सशक्तिकरण एक जटिल अवधारणा है जिसे विभिन्न संदर्भों में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता, ज्ञान वृद्धि, निष्पक्षता का दावा, संपत्ति का स्वामित्व आदि शामिल हैं। क्रॉथर के अनुसार, सशक्तिकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति को कार्रवाई करने का अधिकार या शक्ति प्रदान करना है। संघर्ष के बिना शक्ति का यह हस्तांतरण तभी संभव है जब लैंगिक संवेदनशीलता हो।

(बी). महिला सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण मूलतः उनकी क्षमताओं से संबंधित है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। यह शक्ति महिलाओं को समाज के हाशिये से केंद्र तक आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है (दासरथी, 2006)। महिलाओं के सशक्तिकरण को संसाधनों और आर्थिक शक्ति तक उनकी पहुंच, घर के भीतर उनके प्रभाव, नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और राजनीति में उनकी भागीदारी के संदर्भ में देखा गया है (इंगलेहार्ट और नॉरिस, 2003)। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो वे अपने मूल्यों और मान्यताओं का निर्धारण स्वयं करती हैं; वे अपनी आत्म-पहचान पुरुष प्रधान व्यवस्था से या पुरुषों के माध्यम से प्राप्त नहीं करतीं (सुमन और अंकिता, 2005)। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार किया जाता है ताकि वे वंचित न रह जाएं, नारी सशक्तिकरण कहलाती है। इसमें बच्चों को हर प्रकार के हमले से खुद को बचाने के तरीके सिखाना शामिल है। एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बनाना जिसमें महिलाएं शोषण, दुर्व्यवहार, संकोच, असमानता और ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान संस्थाओं में महिला होने के कारण उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न की भावना से मुक्त होकर जीवन जी सकें, नारी सशक्तिकरण का एक प्रमुख घटक है (शेट्टार, 2015)।

(सी.) लिंग संवेदनशीलता

लैंगिक संवेदनशीलता से तात्पर्य लैंगिक समानता के मुद्दों के प्रति जागरूकता में सुधार से उत्पन्न व्यवहारिक परिवर्तनों से है। यह समाज में पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, जिम्मेदारियों, लक्ष्यों और आचरण को प्रतिबिंबित करता है। जहाँ "लिंग" शब्द पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक और शारीरिक अंतरों को दर्शाता है, वहीं वास्तव में यह समाज के गतिशील प्रभावों को दर्शाता है। संवेदनशीलता का तात्पर्य समाज के वंचित सदस्यों, जैसे महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण और भेदभावपूर्ण कार्यों में परिवर्तन लाना है। समाज की रूढ़िवादी (वर्गीकृत) सोच को बदलने की प्रक्रिया, जो दृढ़ता से मानती है कि पुरुष और महिलाएं "असमान प्राणी" हैं और उन्हें अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में रहना चाहिए, लैंगिक संवेदनशीलता कहलाती है (डैश एट अल., 2008)।

दूसरे शब्दों में, लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है व्यवहार में बदलाव लाना और अपने तथा दूसरे लिंग के प्रति हमारे दृष्टिकोण में सहानुभूति पैदा करना। यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विचारों को समझने और उन 'वास्तविकताओं' पर सवाल उठाने में मदद करता है जिन्हें वे जानते थे (अक्सोर्नकूल, जोर्जर और सिंडी, 2008)। लैंगिक संवेदनशीलता लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करके किया जा सकता है (शर्मा, 2016)।

लेकिन, कमजोर स्थिति से मजबूत स्थिति में आने के लिए सशक्तिकरण आवश्यक है। यह मानसिकता निस्संदेह पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित अंतरों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, यदि भोजन की कमी हो, तो अधिकांश छात्र सबसे पहले अपनी माँ, फिर अपनी बहन और उसके बाद परिवार की अन्य महिला सदस्यों को चुनेंगे। पुरुष सदस्य अपना भोजन क्यों नहीं छोड़ते और भोजन की मेज पर सबसे पहले क्यों खाते हैं, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। शक्ति, जीविका कमाने की क्षमता आदि के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच स्पष्ट असमानता है। अधिकांश समुदायों में महिलाएं नियमित रूप से इस प्रकार के भेदभाव का सामना करती हैं, लेकिन वे इसे अनदेखा करना चुनती हैं। प्रचलित सामाजिक मान्यता यह है कि महिलाएं समाज के कमजोर वर्ग को सुरक्षा की आवश्यकता है। ये विचार भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक अंतर को काफी हद तक बढ़ा देते हैं।

- **महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता**

महिलाएं समाज में अनेक भूमिकाएं निभाती हैं, फिर भी उन्हें जीवन के हर चरण में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि गर्भ में और बचपन में भी। वे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन सबके बावजूद, महिलाओं को घरेलू हिंसा और कम साक्षरता दर जैसी अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, और महिलाओं को जीवनयापन के लिए कठोर प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। कम उम्र में जबरन विवाह होते हैं, और दहेज प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही सबसे बुरी प्रथाओं में से एक है, जो महिला आत्महत्या, परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं को आग लगाने आदि के प्रमुख कारणों में से एक है। कोई समाज कितना भी प्रगतिशील क्यों न हो, इतिहास में लगभग पूरी दुनिया में महिलाओं को हमेशा खतरा रहा है। भारत को लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण की सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि यहाँ महिलाएं पुरुषों की तुलना में लंबे समय से अधिक निरक्षर हैं। यह देश महिलाओं के लिए असुरक्षित है। लैंगिक असमानता के कारण उन्हें अपने परिवार, कार्यस्थल और अन्य लोगों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता है। लैंगिक समानता और विचारों से जुड़ी उनकी सभी समस्याओं की जड़ "लैंगिक विचारधारा" है। भारत में लिंग संबंधी चुनौतियों में योगदान देने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं:

व्यक्तिगत - "जागरूकता की कमी, मूल्यों और नैतिकता का पतन।"

शिक्षा - "महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम है।"

रोजगार - "महिलाओं को समय प्रबंधन की समस्या का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि वे कार्यस्थल पर नहीं जाती हैं।"

राजनीतिक - "राजनीतिक गतिविधियों और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का अभाव।"

उपर्युक्त मुद्दों के आधार पर, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को संवेदनशील, खुले विचारों वाली, तर्कसंगत और सशक्त होना आवश्यक है। विश्व भर में महिलाओं को सशक्त बनाना और पुरुषों एवं महिलाओं को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी लैंगिक संवेदनशीलता अनिवार्य है। लैंगिक संवेदनशीलता के विचारों के अनुसार, माता-पिता और शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ बातचीत करने के तरीके में बदलाव लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है (भौमिक, 2012)। संस्थागत सुधार लाने के लिए, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है (दास, 2016)।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से इसे संभव बनाया जा सकता है। लैंगिक असमानताओं के संबंध में भारतीय समाज में लैंगिक परिवर्तन के उदय के परिणामस्वरूप ज्ञान विकास और समकालीन प्रशासनिक

तंत्रों का नाटकीय पुनर्मूल्यांकन हुआ है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों का सवाल। वास्तव में, यह एक ऐसा प्राथमिक विचार था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में अकादमिक जगत में स्वीकार्य दायरे से परे चला गया। विश्व भर में किए गए कई अध्ययनों ने राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं के साथ समान व्यवहार के महत्व को प्रदर्शित किया है।

यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, तो लैंगिक मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है क्योंकि इनका विकास पर प्रभाव पड़ता है। लैंगिक पूर्वाग्रह एक ऐसा ही सामाजिक मुद्दा है जो सभी सभ्यताओं को प्रभावित करता है। यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में वर्तमान में हमारे सामने आने वाली कई समस्याओं से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त समाज में निर्णय लेने के लिए सूचना प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और आर्थिक लेन-देन में शामिल होने की लागत अधिक होती है। इसलिए, एक ऐसे समाज की स्थापना करना महत्वपूर्ण है जो लैंगिक पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार को हतोत्साहित करे और पुरुषों और महिलाओं दोनों को तर्कसंगत रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। लैंगिक समानता लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता को प्रमुख कार्य बिंदुओं के रूप में देखा जाना चाहिए (डैश एट अल., 2008)।

महिलाओं को सशक्त बनाना: सबसे पहले, जो लोग महिलाओं के आस-पास रहते हैं, उन्होंने बदलाव किया है। महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सरकार और अन्य संस्थानों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि रोजगार के अवसर, प्रवेश आदि विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम। आज की संस्कृति में महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने का एकमात्र तरीका उन्हें समानता प्रदान करना और उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने देना है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को हिंसा के भय के बिना अपनी पसंद का कुछ भी चुनने और सामाजिक समारोहों में अधिकाधिक भाग लेने का मौलिक अधिकार है। महिलाओं को अधिक अधिकार देने के प्रयास में, लैंगिक संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण घटक है।

लैंगिक समानता का महत्व: समान अधिकार और अवसर जीवन के हर पहलू में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित है। यह समानता उनकी दृष्टि में समानता को भी दर्शाती है, साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमशीलता और सभी सुविधाओं तक पहुंच की स्वतंत्रता को भी। इसलिए, लैंगिक समानता के महत्व को समाज के प्रत्येक वर्ग के समक्ष उजागर करना आवश्यक है।

भूमिकाओं में बदलाव: समाज में महिलाओं की भूमिकाएं वर्तमान में विकसित हो रही हैं। आजकल सामाजिक जीवन के हर पहलू में महिलाओं को समान दर्जा दिया जा रहा है। जो भूमिकाएं पहले पुरुष निभाते थे, अब वे महिलाएं भी निभा रही हैं। इसलिए, समाज में महिलाओं की बदलती और बढ़ती भूमिकाओं को देखते हुए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

उनकी आवश्यकताओं की पहचान: समाज में महिलाएं किन गतिविधियों में भाग लेती हैं, यह निर्धारित करना आवश्यक है। आयु, शहरी/ग्रामीण प्रवृत्ति, सामाजिक-आर्थिक वर्ग और शिक्षा का स्तर, ये सभी कारक उनकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। कारक। हालांकि महिलाओं में साझा रुचियां होती हैं, लेकिन उनकी पसंद में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं।

प्रत्येक बालिका के लिए अनिवार्य शिक्षा: भारत के संविधान के अनुसार सभी के लिए बुनियादी शिक्षा आवश्यक है और समाज की प्रगति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालिकाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए विश्व भर से भारी वित्तीय निवेश किया जा रहा है, जिससे गरीबी में उल्लेखनीय कमी आ रही है। शिक्षित बालिकाएं देर से विवाह करती हैं और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए काम करती हैं। अशिक्षित महिलाओं की तुलना में वे

बेहतर देखभाल करने वाली और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ वैश्विक विकास प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख विषयों में से एक महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय रणनीति के शुभारंभ के साथ, भारत सरकार ने 2001 को "महिला सशक्तिकरण" वर्ष घोषित किया और इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के प्रमुख लक्ष्यों में से एक बनाया। (राष्ट्रीय नीति, 2018)। नरसिम्हन (2017) के अनुसार, भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित करके नए सहस्राब्दी में अग्रणी भूमिका निभाई, ताकि नए शताब्दी के लिए हमारी दृष्टि एक ऐसे देश पर केंद्रित हो जहाँ महिलाएं पुरुषों के साथ समान रूप से भागीदार हों। स्वतंत्रता के बाद से, महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए संस्थागत ढांचा और संवैधानिक संरक्षण स्थापित करने के लिए कई पहलें की गई हैं। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से, महिलाओं की उन्नति मुख्य प्राथमिकता रही है।

इस पूरे समय के दौरान, नियोजन पद्धतियों में कई बदलाव आए हैं, 1970 के दशक में "कल्याण" की अवधारणा से लेकर 1980 के दशक में "विकास" और अब 1990 के दशक और उसके बाद "सशक्तिकरण" तक। अब ध्यान महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने पर है, न केवल घर की चारदीवारी के भीतर, बल्कि नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर (गुप्ता, 2001)। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अतीत में कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। "व्यापक विकास के अंतिम लक्ष्य" को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार स्वायत्त (स्वतंत्र) निर्णय और संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में महिलाओं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रही है (शर्मा और वर्मा, 2008)।

संविधान कार्यस्थल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान विशेषाधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता। यूजीसी और अन्य संगठन महिला अध्ययन का समर्थन करते हैं और कई नवोन्मेषी शैक्षणिक संस्थानों में महिला केंद्र स्थापित करते हैं। निम्नलिखित कुछ कार्यप्रणालियाँ हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं:

- कक्षा के निर्णय लेने और विकल्पों पर विचार करते समय प्रशिक्षक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर।
- वातावरण में सुरक्षा की भावना
- परिवार और बुजुर्गों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का तरीका
- शैक्षणिक संस्थान इन मुद्दों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं।
- मानवाधिकार और निष्पक्षता तथा समानता।
- समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासी संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण केंद्र

महिलाओं की स्थिति में अतीत की तुलना में निस्संदेह सुधार हुआ है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अभी भी बदलाव की बहुत गुंजाइश है। भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण, दोनों लिंगों के लिए समान सोच को बढ़ावा देने के लिए लोगों के विचारों को बदलना कठिन है। ऐसे समाज में जहां महिलाओं को पैसे के लिए जलाया जाता था और वे हिंसा के निरंतर भय में जीती थीं, वहां इस परिवार की सोच को विकसित करना और ढालना अपेक्षाकृत आसान था,

लेकिन सरकार द्वारा प्रदत्त कई प्रावधानों में वर्तमान में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है और नियमित रूप से शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है, लेकिन यहाँ पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। घर के अंदर या बाहर, महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। वास्तव में, उन्हें असहाय और आश्रित प्राणी माना जाता है। हमारे मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं मिलते, जो पुरुषों को प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान ने महिलाओं को सशक्त बनाने और विकास पहलों के माध्यम से उनकी समृद्धि और गौरव को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कानून और नियम बनाए हैं, फिर भी भारत में महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो संतोषजनक नहीं हैं। यद्यपि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, फिर भी कोई ठोस परिणाम नहीं दिखे हैं। आवश्यक सशक्तिकरण का स्तर अभी भी एक दिवास्वप्न ही है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें लैंगिक कर्तव्यों और भूमिकाओं के निर्वाह में पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल करना होगा, और उनकी संबंधित महिला समकक्षों के साथ उनकी भूमिकाएँ निभानी होंगी। स्वतंत्रता के बाद से अनेक प्रयासों के बावजूद, लैंगिक संवेदनशीलता की कमी के कारण कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तत्काल आवश्यकता समाज के सभी पहलुओं में धारणा को बदलने की है ताकि महिलाओं को अनुकूल दृष्टि से देखा जाए। पुरुष तभी महिलाओं को उनके अहंकार, कार्यों और प्रयासों को छिपाकर समायोजित कर सकेंगे जब तक कि ऐसा न हो जाए।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, "जो राष्ट्र महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वे न तो अभी और न ही भविष्य में महान बन सकते हैं।" आइए, भारत को विश्व के महान राष्ट्रों में से एक बनाने के प्रयास में महिलाओं को वह महत्व दिलाने के लिए काम करें जिसकी वे हकदार हैं।

संदर्भ सूची

1. अक्सोर्नकूल, ए., जोर्जर एन., और सिंडी, के. (2008). लैंगिक संवेदनशीलता: शिक्षा प्रबंधकों, पाठ्यक्रम और सामग्री विकासकर्ताओं और मीडिया पेशेवरों को लैंगिक चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका। विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
2. भौमिक, एस. (2012). लिंग संवेदन और पुलिस। http://www.academia.edu/1931007/Gender_Sensitization_and_Police से प्राप्त किया गया।
3. भुइमाली, ए., और पोद्दार, एस. (2005). शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का विकास। नई दिल्ली: अभिजीत प्रकाशन।
4. दास, एस. आर. (2016). महिलाओं का सशक्तिकरण: एक समय दृष्टिकोण, महिला शिक्षा और विकास। नई दिल्ली: डिस्कवरिंग पब्लिशिंग हाउस।
5. दशरथी, बी. (2006, जनवरी). भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण: 21वीं सदी की पहली चुनौती। उड़ीसा रिव्यू, 60-63.
6. डैश, एच.के., श्रीनाथ, के., और सदांगी, बी.एन. (2008). लिंग संवेदन: समाज सुधार में भूमिका। उड़ीसा: राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र।
7. गनीगर, एस. (2012). कार्यात्मक शिक्षा: महिला सशक्तिकरण के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण। इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल, 2(4), 1-4.
8. गुप्ता, वी.एस. (2001, 11 अगस्त)। राष्ट्र निर्माण और महिलाओं का सशक्तिकरण। रोजगार समाचार, 8.
9. इंगलहार्ट, आर.एफ., और नॉरिस, पी. (2003). बढ़ती लहर: दुनिया भर में लैंगिक समानता और सांस्कृतिक परिवर्तन। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. मार्केल, ई. और लिंडसे, जे. (2014). महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: समावेशी बाजार विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाना। <https://www.microlinks.org/library/womens-economic-empowerment-pushingfrontiers-inclusive-market-development> से प्राप्त किया गया।
11. नरसिम्हन, एस. (2017, 25 नवंबर)। महिला सशक्तिकरण वर्ष-2002। <http://www.indiatogether.c> से प्राप्त।
12. संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। (2001)। संविधान के तहत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की गति पर परामर्श पत्र। नई दिल्ली: विज्ञान भवन एनेक्स, 33-35।
13. राष्ट्रीय नीति (2018, 28 अगस्त)। महिलाओं का सशक्तिकरण। <http://www.wcd.nic.in/empwomen.htm> से प्राप्त।
14. शर्मा, जे.के. (2016). मानविकी और सामाजिक विज्ञान में संवेदीकरण की अवधारणा को समझना: मन के दर्शन में एक अन्वेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 24(90),380-400.
15. शर्मा, पी., और वर्मा, एस.के. (2008). स्वयं सहायता समूहों की उद्यमशीलता गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 8(1), 1-10.
16. शेट्टार, एम. (2015). भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन, जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 17, 13-19.
17. सुमन, पी., और अंकिता, के. (2005). ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण. सामाजिक क्रिया, 55, 349-353.